तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार देचू) सू.अ.अ. अपील संख्या 252 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी राजूराम विश्नोई, पता 564, मंगल नगर, गुड़ा विश्नोईयान, पं.सं लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.10..20 में उसके द्वारा (1) पीएम किसान सम्मान योजना निधि आवेदन कमांक SMF 09156137 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार देचू) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार देचू) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार देचू) से जरिये पत्रांक 218 दिनांक 23.12.20 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि श्री राजूराम विश्नोई द्वारा ओमप्रकाश आशिया पंचायत प्रसार अधिकारी, पं. स. लूणी के विरूद्ध प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अन्तर्गत दिनांक 05.10.20 को जरिये ई–मेल से शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस पर कार्यालय के पत्रांक 1565 दिनांक 15.10.20 नोटिस जारी किया गया तथा ओमप्रकाश आशिया द्वारा अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में आवेदन किया तथा प्राप्त राशि 8000 / – पुनः सरकार के खाते में जमा करवा देना बताया गया। लोक सूचना अधिकारी की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी /प्रार्थी को सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार देचू) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	